

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 209 / भूमि ह0 / 2022-23

दिनांक: 03 सितम्बर 2022

विषय:- संस्था के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति विषयक।

सन्दर्भ:- (01) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8बी.
/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022।

(02) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट
कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 410/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 08
अगस्त, 2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्था के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में हस्तांतरित होने वाली वन भूमि के एवज में कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ 0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022 एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 410/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2022 द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या-1 एवं बिन्दु संख्या 14 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्र0 सं0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.	प्रस्ताव non-site specific activity के लिए तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव को guideline para 1.15 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र के आस-पास ग्राम स्तर, निजी एवं राजस्व स्तर पर उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही वन भूमि पर (खसरा संख्या 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700 हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये 0.400 हे0 एवं खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि का चयन किया गया है उपरोक्त के सन्दर्भ में आस-पास के ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र एवं राजस्व स्तर पर राजस्व विभाग से हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में दिनांक 13 जून 2022 को उपवन निरीक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है एवं सत्यापित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodaloffice@ddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 410 / FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक: 8 अगस्त, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या-8वी०/यूसीपी /09/140/2021/एफ०सी०/1373 दिनांक 27-01-2022।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 19 बिन्दुओं पर आख्या/सूचना चाही गयी थी। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 303/12-1 दिनांक 29-07-2022 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या-1 एवं 14 के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। उक्त बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

- 1- बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में तथ्यात्मक सूचना/आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में प्रकरण में हुये उत्लंघन के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना/आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या- 410 / FP/UK/Others/44711/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित प्रकरण में उचित कार्यवाही करते हुये आख्या सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना सम्बन्धित वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1373

दिनांक: 07/01/2022

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1192/FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 12-11-2021

महोदय,

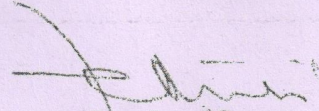
उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State Govt is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.
2. On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. Further, it seems that the polygons in the KML file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/ longitude. As a result the area proposed for the diversion comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The State Government is requested to remark the diversion area on KML file.
3. If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately.
4. It is also noticed that three patches, of proposed area selected for college which are far from each other. State Govt is requested to clarify this in detail and provide the information in this regard.
5. Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same submitted in the justification or in State Govt proposal. State Govt is requested to submit a detailed report in this regard.
6. Digital map for the proposed area is not found uploaded. State govt is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.

7. It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.
8. Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt may upload the detail so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.
9. Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State Govt may upload the justification for locating the project in forest area.
10. Details of alternative explored not uploaded online at para D (ii) (a), which may be done.
11. Permanent employment mentioned as 0 at Para E in Part I. State Govt is requested to clarify the same.
12. Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.
13. FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may be uploaded.
14. It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for Penal CA. State Govt may submit a detailed report if any violation found in the proposal.
15. "Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (e). State Govt may submit clarification.
16. CA scheme, aerial distance, NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.
17. Name of the area mentioned in CA scheme is 'Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorna'. State Govt may clarify this discrepancy and provide correct document.
18. Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.
19. Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

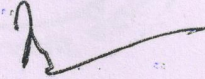
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु अर्थात् 2.00 है० (वन सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव) के निर्माण हेतु ग्राम-कुण्डादानकोट की सिविल भूमि चयनित कि गयी है, उक्त भूमि के अतिरिक्त चयनित स्थल के आसपास ग्राम स्तरों (ग्राम-तडाग, गौरणा, कोलू-भन्नू, कुण्डा दानकोट) में उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वृक्ष विहिन भूमि उपलब्ध कराने हेतु बैठक की गयी, जिसमे उक्त परियोजना हेतु अन्यत्र उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी। इसके अलावा राजस्व स्तर पर भी क्षेत्र के आस पास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।

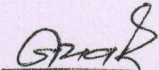
अतः उक्त परियोजना हेतु चयनित 2.00 है० सिविल भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।



ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड



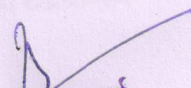
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-चोपता, जाल्पा
तहसील-रुद्रप्रयाग
जनपद-रुद्रप्रयाग



तहसीलदार
रुद्रप्रयाग



उप जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)



प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

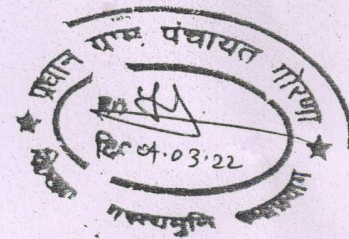
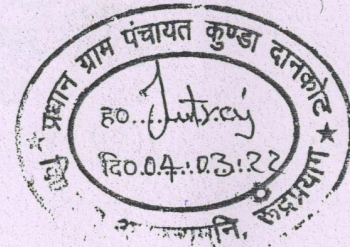


जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आस-पास के ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित वन भूमि (खसरा सं० 3308 मध्ये 0.040 हे० भूमि, खसरा सं० 3391 मध्ये 0.700 हे० भूमि, खसरा सं० 4158 मध्ये 0.400 हे० भूमि, खसरा सं० 4059 मध्ये 0.860 हे० भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है ।

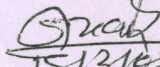
9/04/03 2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग



9/04/03 2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

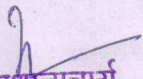
वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व क्षेत्र गैर वानिकी स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित वन भूमि (खसरा सं० 3308 मध्ये 0.040 हे० भूमि, खसरा सं० 3391 मध्ये 0.700 हे० भूमि, खसरा सं० 4158 मध्ये 0.400 हे० भूमि, खसरा सं० 4059 मध्ये 0.860 हे० भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। ~~सत्यापित~~


TS/31/22
28.3.2020
चोपता

CS


TNN(R)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग